संख्या–1344/ III(2)/21–32(एम0एल0ए0)/2017 T.C.I

1404

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CE(P)
25/5

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 13 मई 2021

SSO II
25/5/21

विषयः– **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर के 25 विभिन्न निर्माण कार्यो (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून द्वारा विषयगत कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये संलग्न विवरणानुसार 25 आगणन जिनकी कुल लम्बाई **14.247** किमी0 लागत **₹561.14 लाख** है, पर **शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹555.08 लाख (₹ पांच करोड पचपन लाख आठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय हेतु प्रति कार्य **₹**0.10 लाख अर्थात 25 कार्य हेतु **₹**2.50 लाख (₹ दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में **debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यो में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) ईट खण्डजा निर्माण कार्य में एबटमेन्ट(मिट्टी भरान) कार्य हेतु कार्य कराने से पूर्व तथा कार्य कराने के पश्चात के फोटाग्राफी अनिवार्य रूप से अभिलेखित किये जाय।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, लेखाशीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सडक निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण **(5054–04–800–03–02)** के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 33/XXVII/(2)/2021 दिनांक 12 मई 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नःयथोक्त। (कार्यो की सूची)

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव।

संख्या– —— (1)/III(2)/21-32(एम0एल0ए0)/2017 T.C.I तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., रूडकी।
11. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1344 /III(2)/21-32(एम0एल0ए0)/2017 T.C.-I दिनांक 13 मई 2021 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई	शासन टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित लागत।	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
	2	3	4	
1.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम महेशरा–कर्णपुर मार्ग से उत्तर दिशा की ओर ईंट खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.400	12.08	0.10
2.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम रूहालकी में दलबीर सिंह के खेत वाले खडण्जे से आगे दक्षिण में रामपाल पुत्र ध्यान सिंह के खेत की ओर ईंट खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	15.09	0.10
3.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम गनौली में गनौली–महेशरी रोड से संजू के खेत की ओर ईंट खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	15.09	0.10
4.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम महेशरा में कर्णपुर मेन रोड से बाईपास टावर की ओर ईंट खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	15.10	0.10
5.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम महेशरी में महेशरी गनौली मार्ग से श्याम सिंह पुत्र गोपाल सिंह, रविन्द्र पुत्र अजमेर के खेत की ओर ईंट खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	15.18	0.10
6.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम महेश्वरी में अमित पुत्र श्री तेल्लूराम के खेत से नरेश चैयरमेन के खेत की ओर ईंट खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.600	17.36	0.10
7.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम नैतवाला सैदाबाद में शमशान घाट की सड़क के पास शेषराज के खेत से उमेश के खेत की ओर ईंट खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.450	14.15	0.10
8.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम कर्णपुर में पहल सिंह कश्यप के मकान से मौहम्मदपुर मार्ग से मेन सड़क की ओर ईंट खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.450	13.58	0.10
9.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम कुआंखेड़ा में ढाढेकी वाले रास्ते पर जोहड़ से आगे महेन्द्र सिंह के खेत की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	1.00	31.15	0.10
10.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम चन्द्रपुरी कलां में पुस्तकालय से लवकुश के खेत की ओर ईंट खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	1.00	28.95	0.10
11.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम चन्द्रहपुरी खादर के कवलपुर (कोठे) में	1.00	30.18	0.10

	खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**			
12.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम धर्मपुर में असरगपुर रोड पर बलजोर सिंह के खेत से नरेन्द्र प्रजापति के खेत की ओर ईंट खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.300	9.81	0.10
13.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम रूहालकी में रूहालकी व कर्णपुर मार्ग से दिलेराम के खेत की ओर ईंट खडण्जा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.300	9.43	0.10
14.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम कान्हेवाली रायसिंह में मैन रोड से सुखपाल के खेत से शमशान घाट की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल द्वारा निर्माण कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.550	28.58	0.10
15.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम लालचंदवाला से लालपुर मार्ग पर अवनीश के खेत से चौ0 भमूला जी की ओर खडण्जा निर्माण कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	14.28	0.10
16.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत डिफेन्स कालोनी के महाराणा प्रताप एन्कलेव के दूसरे गेट अम्बेडकर मार्ग तक व महाराणा प्रताप एन्कलेव के अन्य रास्तों पर सी0सी0 इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा मार्गो का निर्माण कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.800	48.83	0.10
17.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम गाधारौणा में डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क(हरिजन बस्ती) के पास से प्राचीन महादेव मंदिर होते हुए राम सिंह पुत्र श्री चौहल के पास पुलिया की ओर आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.590	66.12	0.10
18.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम चन्द्रपुरी कलां में नेमीशरण के खेत से तेजपाल के खेत की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	15.17	0.10
19.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम शिकारपुर के प्रसाद विहार वैल्फेयर मैन्टेनेस सोसाइटी में सी0सी0 इण्टरलॉकिग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.535	34.53	0.10
20.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम नाईवाला में सेमपाल के खेत से हरिराम के खेत की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.600	21.17	0.10
21.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम सिकन्दपुर–2 में मैन सड़क से सिकन्दर सिंह के मकान की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.600	18.18	0.10
22.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम माडाबेला में मेन रोड से अनिल कुमार के खेत की ओर ईंट खण्डजा निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.500	15.18	0.10
23.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम ढडेरा में आन्तरिक मार्गो पर सी0सी0 इण्टरलॉकिग टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.502	21.45	0.10
24.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के अन्तर्गत ग्राम ढाढेकी में राजपाल सिंह पुत्र सिंगारा के खेत से कर्मसिंह के खेत की ओर ईंट खण्डजा [illegible]	0.500	15.25	0.10

25.	राज्य योजना के **अन्तर्गत** जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–खानपुर के ग्राम दल्लावाला में आंतरिक मार्गो पर सी०सी० इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	0.570	29.19	0.10
	योगः–	**14.247**	**555.08**	**2.50**

(कुल ₹ दो लाख पचास हजार मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्र०सं०:- 424 /2व्याला(क०)/2, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, देहरादून दि:- 31-5-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

1. स्टा० मु० अभि०, लो०नि०वि०, देहरादून।
2. अधी० अभि० शि० वृ०, लो०नि०वि०, हरिद्वार,
3. अधि० अभि० नि० खण्ड, लो०नि०वि०, रूड़की
4. अधि० अभि० आई० टी० सैल प्रमुख अभि० एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. कनि० अभि० प्रा०/बजट वर्ग प्रमुख अभि० एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।

31/5/21
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि., देहरादून

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1344/III(2)/21-32(MLA)17 TC-I
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21050220028
आवंटन पत्र दिनांक-13-MAY-2021

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-District and other Roads
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	80000	250000	0	330000
योग	80000	250000	0	330000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,50,000 (Rupees Two Lacs Fifty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER